International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 7, Issue 04, April 2020
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

संविधानवाद तथा भारत में कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न

शिम्पी पान्डे[1], राखी[2]

सार: संविधानवाद संबंधी अवधारणा को साधारणतयासंविधान से संबंधित माना जाता हैं जो कि शासक एवंशासितों के लिए आधारभूत रूप से मूल्यो संबंधी दस्तावेज के इर्द गिर्द घूमती हैं परंतु संविधानवाद केवल यही तक सीमित नही हैं। यह इससे अधिक सामाजिक व्यवस्था में राजनीति के प्रति उपजे विरोधके परिणाम स्वरूप बने कुछ नए नियम भी हैं। जो न केवल शासन अपितु शासित जनता के प्रति भी कुछ मूल्यो तथा सिद्धांतों को शामिल करता हैं। यह केवल संविधान के लिखित स्वरूप पर ही आधरित नही होता हैं। संविधनवाद इससे अधिक विस्तृत पैमाना हैं जो कि संविधान की लिखित एवम अलिखित अवधारणाओं से बढ़कर विचारो तथा सरकार के प्रति प्रतिरोध की भी व्याख्या करता हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न से उठने वाला विरोध भी इसी प्रकार का एक प्रतिरोध है जो कि महिलाओं के मान को हानि पहुचानें से उठा विरोधकरता हैं क्योंकि यही वह प्रतिरोध हैं जिसने इन मुद्दो के प्रति कुछ नई नीतियों एवम कानूनो को जन्म दिया।

संकेत शब्द: संविधान, संविधानवाद, प्रतिरोध, महिलाउत्पीड़न,कार्यस्थल, सामाजिक व्यवस्था

[1]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
[2]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

भूमिकाः-

भारतीय संविधान निर्माण के समय महिलाओं के प्रति इस प्रकार के व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी विशेष प्रावधान नहीं किए गए। जिसने इस विचारधारा को नया स्वरूप प्रदान कर दिया। परंतु केवल यही तक नहीं बल्कि इन नए नियमों तथा स्वरूप ने भी समय-समय पर संवैधनिक कानूनो, संविधान संबंधी दस्तावेज तथा संविधानवाद के मध्य नए प्रकार के संबंधों का आरंभ किया हैं। जो इस लेख का मुख्य विषय है। यद्यपि भारतीय संविधान के संदर्भ में इन पहलुओं पर विचार करन से पहले हमें यह जानना आवश्यक होगा कि- संविधानवाद क्या हैं? तथा भारतीय समाज में यह किस प्रकार क्रियाशील हैं?भारत संविधान में स्वतंत्राता प्रप्ति के पश्चात मौलिक अधिकारोंके प्रावधान करते किये गए जिसमें लिंग समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के साथ ही कार्यस्थल में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए अनुच्छेद 14,15,19 लाए गए तथा इन्हें हानि पहुचाना मौलिक अधिकारों का हनन माना गया।

भारत में संविधानवाद एवम कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न

भारत संविधान में स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात मौलिक अधिकारोंसंबंधी प्रावधनकिये गए जिसमेंस्वतंत्रता, लैंगिक समानता तथा न्याय के साथ ही कार्यस्थल में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए अनुच्छेद 14,15,19 लाए गए1 तथा इन्हे हानि पहुचाना मौलिक अधिकारोंका हनन माना गया। परन्तु लिंग संबंधी अन्य विषय-कार्यस्थलपर महिलाओं के यौन उत्पीड़नसंबंधी विवाद में अछूता ही रहा। यह गतिविधियाँ महिलाओं के सभी अधिकारों को प्रभावित करता है जो वर्तमान समय में महिलाओं संबंधीअनेक विवादों जैसे निर्भया केस, दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाली घटनाओं,जस्टिस गांगुलीइत्यादि के मामलो से अत्यधिक गंभीर बन गया है। जहाँ संवैधनिक संस्थाओं के कार्यकर्ता स्वयं इनके उल्लंघन करने लगे है तथा इसमें स्वयंकानून के शासन पर आधारित संस्थाओं पर भी प्रश्न उठाये जाने लगे हैं।

तेहलका केस भी इसी प्रकार के प्रतिरोध का ही एक उदाहरण है। इन सभी विवादो ने समाज मेंसंवैधनिक शासन व्यवस्था के मूल्यों का परिस्थितियो के अनुसार विरोधभी किया हैं। इस प्रकार संविधानवाद संबंधी विचारधारा का अस्तित्व इस संदर्भ में अहम बन गयी है। यद्यपि भारतीय संविधान के संदर्भ में इन पहलुओं पर विचार करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होगा कि-संविधानवाद क्या है तथा भारतीय समाज में यह किस प्रकार क्रियाशील है?

संविधानवाद

संविधानवाद से तात्पर्यसाधारणतया शासन के लिए आवश्यक तंत्र संरचना, उपकरण तथा शक्तियों की वैधता के लिए आवश्यक रीति से माना जाता है। परंतु केवल यही नही यहा अधिकारों,न्याय विकास तथा व्यक्तिगत संगठनो आदि के लिए उठाए गए आवश्यक कदमो को भी शामिल किया जाता है।[3] यद्यपि संविधानवाद में साधारणतया इसके लिखित स्वरूप की बात की जाती है। परंतु इन राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों को प्रकाशित किया जाना सदैव आवश्यक नही होता क्योंकि प्रत्येक लिखित संविधान में अंतर्निहित अलिखित मान्यताए है। यह मान्यताए सदैव प्रतिरोध-विरोध करती रहती हैं तथा इसका दूसरा स्वरूप है अलिखित होना। जो की निरकुंश राजनीतिक तथा सामाजिक नीतियों में साधारणतया क्रियाशील है जहां बिना संविधानवादसंबंधी प्रतिरोधके भी संविधान कार्य करता है।[4]फ्रेडरिकस कहते हैं ''संविधानवाद की संकल्पना में केवल लिखित ही नही अपितु संक्रिय संविधानवाद भी शामिल होने के कारण यह महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि बिट्रेन एवम इजराइल के अलिखितसंविधान भी उतने ही लिखित है जितना की अमेरिका तथा फ्रांस के लिखितसंविधान।''[5]

[3]Baxi. 2000. Page. 539
[4]Baxi. 2000. Page 540
[5]Friedrich. 1968. Page 318.

इस प्रकार संविधान के लिखित तथा अलिखित स्वरूप के भिन्नता को ही केवल इसके संविधानवाद संबंधी विचारधारा से संबंध नही बतलाया जा सकता है न ही केवल संविधान को केवल आधारभूत मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया। जो कि पहला संविधान के रूप में बाकी सभी मूल्यों की वैध्यता को निर्धरित करता है।[6]

यद्यपि एथेन्स में क्रियाशील प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आत्म नियमिततांए होने के कारण यहा कुछ हद तक संविधानवाद हो सकता हैं क्यांकि बहमुत के निर्णयो पर नियंत्रण यहा दिखता है जो स्वंय बाधित भी रहा। पंरतु यह सदैव नियंत्रण रूप में ही नहीं हो सकती हैं अपितु यह वह नियम भी है जिनके बिना स्वयं बहुमत संबंधी शासन सुव्यवास्थित रूप में कार्य नही कर पाता हैं।[7]अतः उपयुर्कत व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक तथा न्यायपूर्ण शासन मे यह नियंत्रण इसके क्रियान्वयन तथा संचालन के लिए आवश्यक तत्व है परन्तु केवल यही नही अपितु जैसा की जॉन लोक कहते हैं 'शासन के नियंत्रण पर ही उसकी वैध्यता एवम सत्ता निर्भर भी करती हैं।''[8]

यह नियंत्रण दो प्रकार से देखा जा सकता है पहला अल्पतर जो कि सिद्धांतो के रूप मे सरकार पर नियमितता लगाते है जबकि अधिकतम स्वरूप मे सरकार ही स्वय अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखते हुए इसको महसूस करती हैं।परंतुकभी क्या यह स्वंय नियंत्रण प्रत्येक व्यवस्था में समुचित होगा? चूंकि हॉब्स तथा जॉन लोक के विचारो में भिन्नता के आधार पर हम देखते हैं तो इसमें कुछ विवाद दिखते हैं जैसा की अस्टिन,(जो की हॉब्स से सहमत थे)के अनुसार सभी कानून प्रभुसता आधारित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की संस्था के निर्देश होते हैं इसलिए वह संस्था अथवा व्यक्ति स्वंय ही नियमित होते है''[9]परंतु ऑस्टिन

[6]Friedrich. 1968. Page 319. केल्शन द्वारा संविधान को आधारभूत मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया जो कि पहला संविधान के रूप में बाकि सभी मूल्यों की वैध्यता को निर्धारित करता है।
[7]Elster. Page 2 - 3
[8]Standard Encyclopedia of philosophy. Page 1.
[9]Standard Encyclopedia of philosophy. Page 2.

संबंधी यह अवधारणा सार्वभौमिक नहीं मानी जा सकती हैं क्योंकि जैसा की फ्रेडरिक्स कहते है यूरोप में मुख्यतः तीन संविधानो द्वारा संविधानवाद को कमजोर बनाया गया है तथा यह राष्ट्रीय सीमाओं से बढ़कर यूरोप को एकीकृत बनाए रखने के लिए आदांलेन के रूप में एकीकृत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जिसने स्वतंत्र देशो के स्वतंत्रतासंबंधी संविधानो के निर्माण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इन देशो में संविधानवाद का स्वरूप यूरोपियन से भिन्न गैर-औपचारिक रहा जो कि सक्रिय संविधानवाद का अभिन्न अगं कहा जा सकता हैं।[10]परंतु फ्रेडरिक्स की यह व्याख्या ही केवल भारतीय संविधानवाद की विशेषताओं के लिए काफी नहीं हैं बल्कि यह इससे अधिक जटिल हैं।

भारत में संविधानवाद

भारतीय संदर्भ में संविधानवाद की शासन पर आत्मनियंत्रण संबंधीअवधारणा लागू नही कि जा सकती है क्योंकि यहां अधिकारसंबंधी बिल केवल पेपर पर ही रहे।[11] पंरतु यह भी नही कहा जा सकता है कि यहसता पूर्णतः अनियंत्रित रही । यह नियंत्रण का स्वरूप क्यांकि सदैव प्रतिरोध के रूप में शासन संबंधी संरचना में हमे दिखाई देता हैं।[12]तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के समाधन के लिए बनाई गई नीतियाँ भी इसी प्रतिरोध/आंदोलन का ही एक परिणाम है। यद्यपि भारत में उपनिवेशवाद के पश्चात ब्रिटिशवादसंबंधी राजनीतिक व्यवस्था को काफी हद तक अपनाया गया जिसमे इसकी निरतरंता को बनाए रखने के साथ ही इसमे कुछ अंतराल भी लाया गया।[13] जिसके कारण यह पूर्णतः पश्चिमी स्वरूप नही माना जा सकता है। तथा यही अंतराल इसे अनोखा बनाता हैं। जैसा की उदय मेहता का मानना है कि भारत में संविधानवादी व्याख्या अमेरिकी

[10]Friedrich. 1968. Page 325भारत में संविधानवाद की प्रक्रिया पूर्णतः दोषपूर्ण रही जहां संविधान केवल बाहरी दिखावा रहा। तथावास्तविकता सदैव इसके पीछे ही छुपी रही क्योंकि वह कुछ आवश्यक तथा साधारण वर्णन को जैसे राजनीतिक पार्टियांद्ध भी शामिल नहीं करता।

[11]Friedrich. 1968. Page 325.

[12]Baxi. Page 543.

[13] Baxi. Page 543.

संवैधनिक चिंतन जो अठाहरवीं शताब्दी के मूल्यो पर आधारिततथ्यों से भिन्न बीसवीं शताब्दी के मूल्यो पर आधरित रहे। भारत में इसके विकास के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक भी अहम भूमिका निभाते है जहां अमेरिकन संविधानवाद शक्ति संबंधी संदेह से निपटने में क्रियाशील रहा जिसके कारण ही राजीनीतिक शक्तियाँ सदैव सीमित रही जबकि भारतीय संविधानवाद मे इसके विपरित विरोधीगतिविधियो को राज्य द्वारा पहले से ही समाप्त कर दिया गया तथा राजनीति द्वारा सदैव जाति एवम धर्म को अस्त-व्यस्त कर दिया गया।[14]

फ्रेडरिक्स का सक्रिय संविधानवादसंबंधी सिद्धांत यद्यपि भारत में भी क्रियाशील रहा। परंतु पश्चिमी मूल्यो से भिन्न इसे राज्य के विशेषाधिकारों तथा राज्य की नीतियो मेंहुए आवश्यक परिवर्तन के रूप में देखा जाना आवश्यक है। भारत में संविधानवाद के लिए न केवल संविधान अपितु अन्य सामाजिक मूल्य भी इसकी अवधरणा को निर्देशित करने में अहम भूमिका निभाते है जिसके अन्तर्गत दो प्रकार के दस्तावेज कार्यरत रहते हैं। पहला सरकार संबंधी दस्तावेज दूसरा न्याय संबंधी दस्तावेज जिनके मध्य सदैव विवाद बना रहता हैं जो इसे स्वयं ही पश्चिमी सिधांतो के विरूध मान्यता प्रदान करता हैं । अतः भारतीय संविधानवाद उपनिवेशिक नकल में भी सृजनात्मक शामिल प्रदान करता हैं।[15]यह सजृनात्मक उदारवादी सिधांत मे अनेक पहलुओं को रखती हैं जहांसंविधान केवल लिखित दस्तावेज ही नही हैं। बल्कि व्यक्तियों अथवा प्रक्रियाओं के ऐतिहासिक संदर्भ को भी निश्चित समय मे प्रदर्शित करती हैं जहाँ न केवल उनके श्रम को कानूनी स्वरूप देता हैं अपितु साथ ही प्रतिरोध करते हुए यह गैर-संवैधनिक को भी संवैधनिक तथा पुनः संवैधनिक बनने की

[14]Mehta. 2010. Page 19
[15]Baxi. Page 345.

कोशिश करता हैं अतः यह संविधान की दस्तावेज तथा विधि के रूप में वैचारिक समझ को प्रस्तुत करता हैं।[16]

संविधानवाद भारत में सांस्कृतिक सॉफ्रटवेयर की तरह हैं जो न केवल शक्तिसंबंधीगतिविधियों को बल्कि प्रतिरोध की भी कार्यान्वयनकरता हैं।[17]16 यह राष्ट्रीय तथा उपराष्ट्रीय राजनीति की भी वैशविकता से भिन्न रूप में उसका कार्यान्वयनकरता है। वैश्विक संदर्भ में यह न्याय तथा अन्यान के मध्य हाडवेयर तथा सॉफ्रटवेयर की तरह हैं। जहां न्याय की भावना न केवल संवैधनिक अर्थात हार्डवेयर में अपितु सॉफ्रटवेयर के रूप में भी कार्यान्वयनहोता हें जिससे की संविधान के अन्तर्गत न्याय की संभावनायें सदैव समाज में बनी रहती हैं।[18]

उपर्युक्त व्याख्या भारत में कार्यस्थल पर होने वाले महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी प्रतिरोधके लिए भी आवश्यक है इस प्रकार संविधानवाद तथा महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़नसंबंधी नीतियो में प्रत्यक्ष संबंध देखा जा सकता है।

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा संविधानवाद

यह विषयभी भारत में संविधानवादी सिद्धांतो का ही प्रत्यक्ष उदाहरण है। चूंकि भारतीय संविधान उपनिवेशवाद समाप्ति के पश्चात पांरपरिक, सामाजिक पदसोपानात्मक व्यवस्थाओ से बंधनमुक्त होने के पश्चात किया गया था जिससे की नए प्रकार की स्वतंत्राता, न्याय, समानता लाई जा सके परंतु यहा लिंग संबंधीविषयोंको केवल परिवार के अंतर्गत ही पहचान मिल सकी।[19] चूंकि उपनिवेशवाद के विरुद्ध उभरे राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत में सरकार तथा शक्तियों का प्रतिरोध करते हुए संविधान में अनेक मूल्यो तथा नियमों के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आधार बनाया गया। मौलिक अधिकारों के रूप मे भी प्रत्येक शोषित

[16]Baxi. 2008. Page 93-100.
[17]Baxi. 2004. Page 34. 2008. page 100.
[18]Baxi. 2004. Page 35.
[19]Bhargava. 2008. Page.

वर्गो को स्वतंत्रता के साथ ही साथ समानता तथा अन्याय के विरुद्धअनुमोदनका अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 द्वारा महिलाओं को लिगं आधार पर भेदभाव समाप्त करके आदरपूर्ण जीवन यापन का अधिकार दिया गया। इसके पश्चात भारतीय समाज में लिगं संबंधी अनेक मुद्दे जैसे नीजि स्वतंत्रता, महिलाओं के विकास, पितृसतात्मकता से मुक्ति तथा समानता के अधिकार इत्यादि अनेक बार उठाए गए परंतु कुछ विवाद सदैव अछूते ही रहें।

भारतीय संविधान में यद्यपि कई क्षेत्रो में इन अधिकारों की गरिमा बनाए रखने के लिए संसद को विशेषाधिकार प्रदान किए गए परंतु साथ ही न्यायालिका को भी पुनीरिक्षण का अधिकार दिया गया है। जिसके द्वारा वह इन प्रतिरोध तथा औपचारिकताओं केआधार पर जनकल्याणकारी नीतियां प्रदान करती है जो कि संविधान की संवैधनिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है।[20]परंतुसंविधानवाद से संबंधितयह प्रशन भी अहम हैं कि- प्रश्न-भारत मेंसंविधानवाद संबंधी विचार किस प्रकार कार्यस्थल पर महिलाओं केयौन उत्पीड़न संबंधी विषयों को सम्बोधित करता है?

कार्यस्थल पर इस प्रकार के उत्पीड़न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम 1997 में विशाखा दिशानिर्देश के रूप में उभारा गया। भवरी देवी रेप केस के पश्चात उभरे गहन आंदालेन तथा महिला संगठनो के अथक प्रयास के कारण ही विधि के शासन के आधार पर ही यह नीतियांनिर्धरित की गई। इस दिशा-निर्देशके द्वारा यह निश्चित किया गया की यहहिंसा लैंगिक समानता जीवन तथा घुमने की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 19(A) का हनन मानी जाएगी परंतु उपर्युक्त दिशानिर्देश महिलाओं के प्रति इसउत्पीड़न को पूर्णतः समाप्त करनेमें सफल नही हो सकी जैसा की सनहिता संगठन (महिलाओं के अधिकारसंबंधीसमूह) ने विशाखा दिशानिर्देशकी क्रियान्वयता होने की जांच की तो पाया की बहुत हद तक यह

[20]Khosla. 2012. Page 15.

समितियांअपनी गतिविधियों में सीमित ही रही क्योंकि इन समितियों का कार्य केवल पेपर तक ही रहा। यद्यपि इस प्रकार की स्थिति के लिए अनेक कारण उतरदायी रहे जैसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अध्यक्ष अपने स्तर में बहुत ही निम्न रहे, उनका अन्य सदस्यो से सहयोग भी बहुत ही अल्प रहा, न ही इन समितियोंद्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई तथा न हीअधिकतरसमितियोंमें महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया।[21]

उपर्युक्त व्याख्याओं के विरूध भी उनके द्वारासंविधानवाद के रूप में रोष उत्पन्न हुआ जैसा किबक्षी कहते हैं कि यह संवैधानिक साफॅटवेयर ही है जोकि अधिकारन्याय तथा अधिकारसंबंधी सम्पर्क स्थापित करता है जिसने इन मुद्दो के प्रति स्वय को उजागर किया।[22] तथा यह अधिकार एवम न्याय के लिए उठाई गई गतिविधियों भी इसी सक्रिय संविधानवाद का भाग रही। समाज में राज्य के प्रति इन वर्गो की अनदेखी को उजागर करते हुए समय-समय पर विधिके शासन को समुचित रूप से लागू करने की मांग की गई।

इस प्रकार संविधानसंबंधी पश्चिमी व्याख्याएं ही भारत मे केवल पूर्ण नही मानी जा सकती है। संवैधानिक मूल्यो के लिए नियंत्रण शासन में आंतरिक रहा न ही यह उन अलिखित नियमों में शामिल रहा जो इसके पांरपरिक तथा गैर- औपचारिक रूप में बन गए है क्योंकि प्रत्येक देश की विकास अधिकारों तथा समानता संबंधी अलगही मान्यताएंहोती है जिनके आधार पर ही उनके समाज में न्यायपूर्ण ढांचे की स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इसी संघर्ष अथवा आंदोलन द्वारा समाज में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थापना के दिन-प्रतिदिन प्रयास कीये जाते रहते है। इसमे सामाजिक घटनाओं तथा कुरीतियों के प्रति सरकार अथवा शासन की अनदेखी को समाप्त करते हुए नए तथा प्रभावी कानूनो की मांग की गई तथा इस प्रकार के अपराधों को कड़ी सजा देने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधनों की मांग की गई। इन विवादों ने यद्यपि संविधान के लिखित तथा पांरपरिक

[21]Chaudhary. 2008. Page No. 99-100
[22]Baxi. 2004. Page 24.

स्वरूप पर भी प्रश्न उठाये तथा इन वर्तमान नीतियों को अप्रासंगिकता दर्शाते हुए कानून के शासन के वास्तविक व न्यायिक स्वरूप गठित करने की मांग की गई।

यह आंदोलन केवल साधारण तथा निम्न वर्ग महिलाओं के साथ ही विद्यार्थी लड़कियों का भी अहम योगदान दिखा। जिसने न केवल जनसाधरण वर्ग अपितु युवाओं एवम विद्यार्थियो को भी सजग बनाया। जिसने नए समाज के विकासशील पैमानो को ध्यान रखते हुए नए नियमों की मांग की। परंतुसंविधानवाद संबंधी इन नियमों से तात्पर्य केवल नियमों बनाम विशेषाधिकारों से नही लिया जा सकता ने संविधानवाद इसके दिन प्रतिदिन शक्तियो के प्रयोग;चाहे वह बहुमत का शासन हो या निरकुंश शासनबद्ध से ही निर्मित होता है[23] यहां आत्मसंयम तथा आत्म्बाधित नियम भी काफी हद तक प्रासंगिक नही कहेजा सकते है। चूंकि भारत जैसे विकासशील देशो में कानून के शासन की औपचारिक व्याख्या से अलग स्वरूप को अपनाया गया हैं। जहाँअधिकतर समानता, न्याय जैसी संकल्पनाए राज्य के संकल्पनाए संविधान निर्मित(constitutive)तथा संवैधनिक रूप में गठित (constituted) के मध्य सदैव विमर्शीसंबंधो में कार्य करते है। इस दौरान शक्तियों की वैधता एवम प्रतिरोधके मध्य सदैव गतिविधियाँचलती रहती हैं। उदाहरणतः कानूनी एवम जनता के अनुकूल क्रियान्वित प्रभुसता के मध्य सदैवभिन्नताइसके वर्तमान समय में होने वाले विकास का ही एक भाग है जिसे भारत में देखा जा सकता हें।[24]चूंकि जैसा की उदय मेहता कहते हैं कि पश्चिमी संविधानवादी विचारधरा 18वीं शताब्दी के विचारो पर आधरित है जहां यह नियंत्राण केवल राजनीतिक शक्तियो के संदर्भ मे देखी जाती है। यह उत्पीड़नसंबंधी संदर्भ भारत में इससे पूर्णतः भिन्न भी है क्योंकिवंहा के नागरिको को मिली स्वतंत्राता की प्राथमिकता के कारण ही इन सघंर्षो को ध्यान देना अधिक कठिन नही रहा जबकि 20 वी शताब्दी के पूर्व ओपनिवेशिक देशो विशेषकरभारत मे यह विवाद राजीनति से बढकर खास प्रावधान एवम प्रशासन को न्यायिक

[23]Elsten. Page 6.
[24]Baxi. 2008. Page 93.

बनाने पर आधरित रहा।[25]जिसके कारण ही इनकी प्रभावहीनता को प्रदर्शित करते हुए यह विरोध/प्रतिरोधउठना स्वाभाविक है तथा यही प्रतिरोधइन सभी गतिविधियों के लक्ष्यप्राप्ति में साधक के रूप में कार्य भी करता हैं।

यद्यपि महिलाओं के उत्पीड़नसंबंधी निर्भया केस ने जहां सख्त कानून लोन मेअहम भूमिका निभाई। वही कुछ अन्य केस भी इस संविधानवाद संबंधी प्रतिरोधमें अहम स्थान रखते है जैसे- जस्टिस ए.के गागुली तथा जस्टिस कुमार के खिलाफ इंर्टनस द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़नसंबंधीआरोप। यह केस शासनतंत्र में संवैधानिक पदो पर कार्यरत तथा स्वयं कानून एवम संविधान के संरक्षको पर अपनी शक्तियों के दुरूपयोग को दर्शाता है।[26] इन शक्तियो तथा इनके औपचारिक मान्यताओं के पीछे गलत प्रयोजन से किये गए यह कार्य स्वयं कानून के शासन पर प्रशन उठते है। तथा यह प्रतिरोध भी कानून संरचना में इनके समाधन के लिए परिवर्तन की मांग करते है। जिसका उदाहरण है- 16 जनवरी2014 को पी. सथाशिवम, शिवा क्रीती सिंह तथा जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा गठित बेंच द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय जिसके अंतर्गतरिटायर्ड हो चुके उच्च तथा, सर्वोच्च न्यायलय, के न्यायाधीशों एवम कार्यरत न्यायाधीशों के विरुद्ध यौन उत्पीड़नसंबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए अलग से स्थायी संस्था बनाई जाएगी। परंतु यह स्थिति केवल सभी उच्च पदों तथा औपचारिक पदोंपर नियुक्त संस्थानिक व्यक्तियों के अतिरिक्त लोकतंत्र का चतुर्थस्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के क्षेत्रों में भी दिखी। यह स्वयं कानून के शासन पर आधारित संस्था होने का दावा करते है। जहा मूल्यों एवम उच्च संस्थात्मक नीतियाँ को प्राथमिकता देने की बात की जाती है उदाहरण- हाल मे ही दिसम्बर 2012 को हुए गैंगरेप को प्रकाशित एवम

[25]Mehta. 2010. Page 26. अमेरिकन संविधान निर्माताओं के समक्ष मजदूरी उत्पीड़न एवं गरीबी जैसे मुद्दे बहुत ही कम दिखे जबकि भारतीय संविधानवाद की परिभाषा इसके विपरीत दिखती है।
[26]Amruthi. 2013. Page 4.

प्रचार करने वाली तहलका पत्रिका के मशहूर संपादक तेजपाल के विरूध लगने वाले यौन शोषण का आरोप जिसमें घटना के कई महीनो के पश्चातशिकायत दर्ज की गई।[27]

इस प्रकार उपर्युक्त घटनाए यद्यपि वर्तमान संदर्भ मे घटित हुई जबकि संविधान मे लिखित प्रावधान प्रभावी नही होने के कारण ही इस प्रकार की घटनाओ में अधिकसमय के पश्चात भी शिकायत दर्जनहीं की जा सकी।[28] इस प्रकार संविधानवाद की प्रांसगिकता के लिए सबसे अहम यह शोषण संबंधी घटनायें तथा उनके प्रति उठने वाला जन आक्रोश ही होती हैं जो संविधान में लिखित तथा पांरपरिक नीतियों के विरुद्ध समय एवम परिस्थितियों के अनुसार नई नीतियों की मांग रखते हैं।

निष्कर्षः- इस प्रकार भारतीय समाज में कार्यस्थल पर होने वाला महिलाओं का शोषण तथा उत्पीड़न एक गहन चिंतन का विषय है। इसने स्वयं संविधान में लिखित नियमों एवम प्रावधानोंपर सवाल उठाते हुए नए प्रकार के संस्थाओ की मांग पर जोर दिया तथा इनके लिए नए विचारो एवम उसमें आवश्यक कदम उठाने की मांग की। इन्हीं विचारो एवम नईअवधारणाओं ने संविधानवाद संबंधी नए सिद्धांतो एवम मूल्यों के गठन पर भारत में जोर दिया है जो न केवल शासन संबंधी नियमों एवम प्रावधानोंकी मांग करता है। बल्कि इससे अधिकसमाज में विकास के साथ ही साथ शाषित वर्गो के लिए भी नए प्रकार कीनीतियाँ को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता हैं। यही नीतियां संविधान में कानून का स्वरूप ग्रहण करते हुए शासन में सहायक बनती है।

यद्यपि संविधानवाद की विचारधारा पर भारत में आधुनिकता का प्रभाव पड़ता है परंतु इसका सम्पूर्ण क्रियान्वयन केवल इसके विस्तृत स्वरूप को समझने के पश्चात ही संभवहोगा। इस प्रकार यह विचाराधारा संविधान के दस्तावेज आधारित नियमों एवम कानूनो तक ही केवल

[27]Mahapatra. 2014. Page 3.
[28]Amruthi. 2013. Page 5,6.

सीमित नही है अपितु इससे अधिक यह शासितो का प्रतिरोधभी है। यह प्रतिरोध ही भारतीय समाज में संविधानवाद का प्रमुख कारक है।

Bibliography

Primary Source

• The Sexual Harassment of Woman at workplace (prevention prohibition and Readdressal) Act 2013.

Books

• Basu, Sohini. 2008. Sexual Harassment in India : A Theoretical Framework, In : Madhava. P. Sudarsan, Soma, Jaishankar. K, Ramdas, S. eds. Crime Victim and Justice (An Introduction to restoration Principle, Serials Publication, New Delhi.

• Baxi, Upednra. Post Colonial Legality. In Schwatz. Henry, Ray. Sangeeta. eds. A companion to post Colonial Studies.

• Baxi, Upendra. 2004. The (IM) possibility of Constitution. In : Hasan, Zaya. Sridhavan, Ed. and Sudarsan R. eds. India's Living Constitution : Ideas, Practice and Controversies, New Delhi : Permanent Black.

• Baxi, Upendra. 2008. A Outline of a Theory of practice of Indian Constitutionalism. In Bhargava, Rajeev. eds. Politics and Ethics of the Indian Constitution.

• Bhargava, Rajeev. eds. 2008. Introduction Politics on Ethics of the Indian Constitution.

• Elster, Jon. Introduction In :Elster and Slagstad, Rune. eds. Constitutionalition and Democracy

• Khosla, Madav. 2012. The Indian Constitution. Oxford University Press, New Delhi

• Mehta, Uday. 2010. Constitutionalion. In JayalNirja. Gopal and Mehta, Pratap. Bhatu eds. Oxford Companion to Indian Politics, New Delhi Press.

Articles

• Chaudhuri, Parmita, 2008. Sexual Harassment at the workplace : Experiences with complaints committees (online) Available at www.jstor.org (Accessed on 26 Dec. 2013).

• Friedrich, Carl. J. 1968. Constitution and Constitutionalism In : David : L. Sills.eds. International Encyclopedia of social science. volume 3.

• Gayathri, Amrutha (2013) Tehelka case shows India Acts little Notice of New law against workplace Sexual Harassment (online). Available at www.google.com (Accessed on 21 January 2014).

• Mahapatra, Dhananjay. (2014). S.C. to formulate Machanion to deal with Sexual Harassment Complaint against Judges. (online) Available at www.du.ac.in. Accessed on 24/01/2014.

• Stanford Encyclopedia of Philosophy (2012). Constitutionalism. (Online) Available at : http://www.jstor. org (Accessed on 21/10/13)

• Tejani, Sheba 2004. Sexual Harassment at the workplace (Emerging problemsand Debates). (online) Available at www.stor.org (Accessed on 26 Dec. 2013).

• The Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention Prohibition and Readressal Act 2013.

• The Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention Prohibition and Readdressal act 2013. Wikkipedia (Accessed on 1 Jan. 2014).

Others

• Equality, July 2013. Heena, K.B. Harassment of woman at workplace.